भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-794
दिनांक 10 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ

घरेलू उपकरणों की विद्युत सुरक्षा सुनिश्चित करना

794. डॉ. अजित माधवराव गोपछड़े:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) घरेलू तारों और उपकरणों की विद्युत सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने अब तक क्या कार्रवाई की है;

(ख) घरेलू तारों और उपकरणों की नियमित विद्युत सुरक्षा जांच को अनिवार्य बनाने हेतु अधिनियम में संशोधन करने पर सरकार किन कारणों की वजह से विचार नहीं कर रहीं है; और

(ग) क्या केंद्र सरकार को इस महत्वपूर्ण मुद्दे के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो किससे और उन अभ्यावेदनों के उत्तर में क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) और (ख) : विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 53 और धारा 177 की उप-धारा 2 के खंड (ख) के प्रावधानों के तहत, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने "केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (विद्युत आपूर्ति और सुरक्षा से संबंधित उपाय) विनियम, 2023" जारी किए हैं।

इन विनियमों के अनुसार, किसी भी उपभोक्ता के परिसर में विद्युत संस्थापना कार्य, कुछ अपवादों के साथ, केवल लाइसेंस प्राप्त विद्युत ठेकेदार द्वारा ही किया जाएगा। ऐसे ठेकेदारों की ओर से, राज्य सरकार द्वारा अनुमति प्राप्त व्यक्ति द्वारा, योग्यता प्रमाणपत्र रखने वाले व्यक्ति की प्रत्यक्ष देखरेख में कार्य किया जाएगा।

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने विद्युत वायरिंग स्थापना के लिए आचार संहिता (आईएस-732-यथा संशोधित) और अर्थिंग के लिए आचार संहिता (आईएस-3043-यथा संशोधित) प्रकाशित की है, जिसका पालन विद्युत ठेकेदारों द्वारा घरेलू वायरिंग और स्विच की गुणवत्ता और मानकों को बनाए रखने के लिए किया जाएगा। बीआईएस ने राष्ट्रीय विद्युत संहिता (वर्ष 2023 में संशोधित) भी प्रकाशित की है, जो देश भर में विद्युत संस्थापना प्रथाओं को विनियमित करने के लिए दिशा-निर्देश प्रदान करती है। इसके अलावा, तारों

और घरेलू उपकरणों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने आदेश अधिसूचित किए हैं।

ईज़ ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने लिए, सीईए सुरक्षा विनियमों में यह अनिवार्य किया गया है कि अधिसूचित वोल्टेज से कम या बराबर विद्युत संस्थापनाओं को समय-समय पर मालिक या उपभोक्ता द्वारा स्व-प्रमाणित किया जाएगा। उपयुक्त सरकार वोल्टेज स्तर और आवधिकता तय करेगी। तथापि, मालिक या उपभोक्ता के पास उपयुक्त सरकार के विद्युत निरीक्षक द्वारा अपने प्रतिष्ठानों का निरीक्षण और परीक्षण करवाने का विकल्प है। यह भी प्रावधान किया गया है कि मालिक या उपभोक्ता समय-समय पर स्व-प्रमाणन के लिए उपयुक्त सरकार द्वारा अधिकृत चार्टर्ड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंजीनियर (सीईएसई) की सहायता ले सकते हैं।

(ग) : केन्द्र सरकार ने इसी तरह के मुद्दों पर डॉ. अजीत माधवराव गोपछड़े, संसद सदस्य से प्राप्त दो अभ्यावेदनों का उत्तर दे दिया है।

****